

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या : 1124 / 2016..... जिला : जयपुर
 मैसर्स गुजरात महाराष्ट्र फ़ाइट कैरियर, मुम्बई बनाम सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, संभाग-तृतीय, जयपुर व अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.06.2016	<p style="text-align: center;">एकलपीठ श्री सुनील शर्मा, सदस्य</p> <p>अपीलार्थी की ओर से श्री विक्रम गोगरा, अभिभाषक एवं विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक श्री आर.के. अजमेरा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से यह अपील अपीलीय प्राधिकारी-प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2016, जो कि राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 38(4) के अन्तर्गत पारित किया गया है, के विरुद्ध अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, द्वितीय, प्रतिकरापवंचन, संभाग-तृतीय, जयपुर (जिसे आगे 'निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 76(6), 76(12) (13) के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 26.02.2016 को पारित कर कायम की गई मांग राशि में से शास्ति रु. 6,49,936/-के सम्बन्ध में अपीलीय अधिकारी के समक्ष स्थगन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर, उन्होंने शास्ति राशि रु. 6,49,936/-पर रोक लगाने से इंकार करने के आदेश को चुनौती देते हुए उक्त शास्ति राशि की वसूली को स्थगित किये जाने का निवेदन किया है।</p> <p>स्थगन के सम्बन्ध में उभय पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवं उभय पक्षीय तर्कों पर विचार करने के अपील के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना स्थगन हेतु आवेदित राशि रु. 6,49,936/- का 50 प्रतिशत राशि रु. 3,24,968/-जमा कराने की शर्त पर शेष राशि रु. 3,24,968/- की वसूली पर निर्धारण अधिकारी के सन्तोष के अनुरूप इस आदेश की प्राप्ति के 15 दिवस में पर्याप्त जमानत प्रस्तुत करने की दशा में, अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित अपील के निर्णय अथवा 3 माह, जो भी पहले हो, के लिए रोक लगायी जाती है। उक्त आदेश की पालना के अभाव में, रोक आदेश स्वतः ही निष्पभावी समझा जावेगा एवं अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस आदेश की प्राप्ति की तिथि से आगामी 3 माह में अपील का</p>	